सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

वार्षिक कार्य प्रतिवेदन
2020-21
एवं
वार्षिक कार्य योजना
2021-22

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए राज्य की जनता को अवगत कराना तथा जनता की समस्याओं एवं उनकी प्रतिक्रियाओं से सरकार को अवगत कराना सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का मुख्य दायित्व है। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को संचार के विभिन्न माध्यमों यथा प्रेस, प्रकाशन, प्रदर्शनी, होर्डिंग, विज्ञापन, एल.ई.डी. वाहन आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाता है। लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ प्रेस को सशक्त बनाने के लिए प्रेस क्लब भवन की स्थापना की गई है। वस्तुतः यह विभाग सरकार एवं जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराकर जन-जागरूकता का कार्य करता है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं पुनर्गठन हेतु फीडबैक प्राप्त करने का भी कार्य करती है।

वर्ष 2020–21 में विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ

- सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रांची विश्वविद्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से "खांची रेडियो" नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता को लोक भाषा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है।

- लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ मीडिया एवं पत्रकारों के कल्याण हेतु भी सरकार कृतसंकल्पित है, जिसका उदाहरण अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रांची प्रेस क्लब भवन का निर्माण है। इसके अतिरिक्त देवघर एवं धनबाद में भी प्रेस क्लब का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन भवनों से राज्य ही नहीं, बल्कि देश के अन्य पत्रकार/मीडियाकर्मी भी लाभान्वित होंगे।

- राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं, सांस्कृतिक वैभव और उद्योग के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं पर आधारित वृत्तचित्र का निर्माण व राष्ट्रीय चैनलों पर उसका प्रसारण।

- राज्य के विशिष्ट आध्यात्मिक स्थलों जैसे वैद्यनाथधाम, वासुकीनाथ, ईटखोरी, रजरप्पा इत्यादि में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किये जा रहे सरकार द्वारा ठोस प्रयासों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे तीर्थयात्री व पर्यटक लाभान्वित हो सके।

- विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे विकासात्मक कार्य का लघु फिल्मों, टीवीसी और रेडियो जिंगल के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया गया है, जिसका लाभ आम जनता को हो रहा है।

- झारखण्ड की अपनी विशिष्टि सांस्कृतिक पहचान है। यहां के लोक-गीत एवं नृत्य लोगों को बरबस ही आकर्षित करते हैं। यहां पर्यटन की भी अपार संभावनायें हैं, इसे देखते हुए झारखण्ड फिल्म नीति 2015 बनाई गई, जिसका उद्देश्य यहां के कलाकारों, फिल्मकारों एवं युवाओं को फिल्म क्षेत्र में रोजगार मिले एवं झारखण्ड की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन सके। फिल्मों के निर्माण से यहां पर पर्यटन की संभावनाओं से लोग अवगत होंगे एवं झारखण्ड में पर्यटन स्थल की संख्या बढ़ेगी जिस कारण रोजगार भी सृजित होंगे। फिल्म नीति के बनने के बाद से हिन्दी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं यथा संथाली एवं भोजपुरी में भी फिल्मों का निर्माण किया गया है। इस नीति से भारतीय सिने जगत के निवेशक काफी आकर्षित हुए हैं तथा अब तक लगभग 80 फिल्मों की सूटिंग झारखण्ड के विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं सूटिंग स्थलों पर की गई है। इस नीति के अंतर्गत कुल 08 बड़े बैनर की फिल्मों को अनुदान दिया जा चुका है एवं अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत् कुल 23 फिल्मों का विशेष प्रदर्शन किया जा चुका है। झारखण्ड को वर्ष 2016 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कैटेगरी में स्पेशल मेन्शन अवार्ड प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (IIFI), Goa में फोकस स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। IFFI में गोवा में 24 नवम्बर, 2018 को झारखण्ड दिवस का आयोजन किया गया जहाँ देश-विदेश के लगभग 300 Delegates के समक्ष झारखण्ड की फिल्म नीति एवं झारखण्ड की कला संस्कृति एवं पर्यटन स्थलों को Showcase किया गया। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (IIFI), Goa में NFDC द्वारा आयोजित फिल्म बाजार में भाग लेकर देश-विदेश के प्रतिनिधि के समक्ष फिल्म नीति का प्रचार-प्रसार किया गया।

- कोविड महामारी के समय जनता की समस्याओं/शिकायतों को दूर करने के लिए जनसंवाद केन्द्र, सूचना भवन में कोरोना नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इस केन्द्र में लोगों द्वारा आवेदन/परिवाद के अतिरिक्त दूरभाष एवं ई-मेल के माध्यम से भी अपनी समस्याओं/शिकायतों के संबंध में सूचित किया गया एवं इस नियंत्रण कक्ष के द्वारा समस्याओं का निराकरण किया गया। कोविड महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु इस विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया।

- सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों एवं योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, लातेहार, डाल्टेनगंज, गुमला, सिमडेगा एवं गढ़वा में स्थापित फिक्सड एल.ई.डी. के माध्यम से सरकार की योजनाओं एवं सरकार द्वारा किये गये कार्यों की सूचना जनता तक पहुँचायी गयी।

- झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के नये प्रतीक चिन्ह को अंगीकृत किया गया है। यह प्रतीक चिन्ह झारखण्ड के जनजीवन, वन्य जीवन तथा उन्नत सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिम्बित करता है। राज्य सरकार के नये प्रतीक चिन्ह का विभिन्न सरकारी कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रचार-प्रसार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्थापना व्यय मद में बजट उपबंध

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए स्थापना व्यय के अंतर्गत मुख्य शीर्ष -2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ तथा मुख्य शीर्ष -2220- सूचना तथा प्रचार में कुल 1,01,04,64,000/- (एक अरब एक करोड़ चार लाख चौसठ हजार) रुपये मात्र का उपबंध किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं०	मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष	बजट उपबंध (रुपये)
1.	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-090- सचिवालय-15- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1,44,81,000
2.	2220- सूचना तथा प्रचार-01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -01- निदेशन एवं प्रशासन	12,05,29,000
3.	2220- सूचना तथा प्रचार-01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -02- पत्रकार कल्याण कोष	15,00,000
4.	2220- सूचना तथा प्रचार 101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-02- सरकारी विज्ञापन	80,00,00,000
5.	2220- सूचना तथा प्रचार 106- क्षेत्र प्रचार -02- जिला भ्रमणशील इकाइयाँ	7,39,54,000
	कुल :	**1,01,04,64,000**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित बजट उपबंध

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए स्थापना व्यय के अंतर्गत मुख्य शीर्ष -2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ तथा मुख्य शीर्ष -2220- सूचना तथा प्रचार में 89,39,32,000/- (नवासी करोड़ उनचालीस लाख बतीस हजार) रुपये का उपबंध निम्न प्रकार किया गया हैः-

क्रम सं०	मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष	बजट उपबंध (रुपये)
1.	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-090- सचिवालय-15- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1,37,87,000
2.	2220- सूचना तथा प्रचार-01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -01- निदेशन एवं प्रशासन	10,16,07,000
3.	2220- सूचना तथा प्रचार-01- फिल्म -001 निदेशन और प्रशासन -02- पत्रकार कल्याण कोष	00
4.	2220- सूचना तथा प्रचार 101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-02- सरकारी विज्ञापन	70,00,00,000
5.	2220- सूचना तथा प्रचार 106- क्षेत्र प्रचार -02- जिला भ्रमणशील इकाइयाँ	7,85,38,000
	कुल :	**89,39,32,000**

वित्तीय वर्ष – 2020–21 में राज्य योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध

योजना उद्व्यय 3900 लाख

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	योजना का नाम	कुल बजट उपबंध	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
1	फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन	1500.00	800.00	700.00
2	फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण	500.00	300.00	200.00
3	मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान	500.00	300.00	200.00
4	सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस तथा कार्यशाला	35.00	20.00	15.00
5	गीत- नाट्य	650.00	350.00	300.00
6	सूचना भवन का निर्माण - अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	90.00	50.00	40.00
7	विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग	180.00	180.00	0.00
8	जनसंचार उपकरणों का क्रय	70.00	40.00	30.00
9	प्रेस क्लब की स्थापना	210.00	10.00	200.00
10	सूचना भवन का निर्माण - मुख्य निर्माण कार्य	15.00	10.00	5.00
11	झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता	100.00	100.00	0.00
12	पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना	10.00	10.00	0.00
13	सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम	25.00	25.00	0.00
14	मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना (नई योजना)	5.00	5.00	0.00
15	झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना (नई योजना)	10.00	10.00	0.00
	कुल	3900.00	2210.00	1690.00

वित्तीय वर्ष – 2021–22 में राज्य योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध

योजना उद्व्यय 6000 लाख

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	योजना का नाम	कुल बजट उपबंध	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना	अन्य क्षेत्रीय उपयोजना
1	फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन	2500.00	1300.00	1200.00
2	फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण	800.00	400.00	400.00
3	मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान	400.00	200.00	200.00
4	सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस तथा कार्यशाला	55.00	30.00	25.00
5	गीत- नाट्य	500.00	300.00	200.00
6	सूचना भवन का निर्माण - अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण	80.00	40.00	40.00
7	विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग	800.00	800.00	0.00
8	जनसंचार उपकरणों का क्रय	100.00	50.00	50.00
9	प्रेस क्लब की स्थापना	200.00	100.00	100.00
10	सूचना भवन का निर्माण - मुख्य निर्माण कार्य	10.00	5.00	5.00
11	झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता	100.00	100.00	0.00
12	पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना	5.00	5.00	0.00
13	सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम	30.00	25.00	5.00
14	मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र का संचालन एवं क्रियान्वयन	400.00	400.00	0.00
15	सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.इ.डी. वाहन	10.00	10.00	0.00
16	मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना	5.00	5.00	0.00
17	झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना	5.00	5.00	0.00
	कुल	6000.00	3775.00	2225.00

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की
वित्तीय वर्ष 2021–22 की कार्य योजना

1. **फ्लैक्स, होर्डिंग, पुस्तिका (पम्पलेट्स) का निर्माण एवं प्रकाशन तथा साहित्य, मैगजीन, पोस्टर, विवरणिका, सजावटी विज्ञापन आदि का प्रकाशन :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों तथा समसामयिक अभियान से राज्य के आम जन तक प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने, अति महत्त्वपूर्ण स्थानों पर संस्थापित स्थायी L.E.D. स्क्रीन का अनुरक्षण एवं इस L.E.D. स्क्रीन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की योजना है। अन्य अनुमान्य प्रकाशन की भी योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 2500.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 1200.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 1300.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

2. **फिल्म, वृत्तचित्र, विकास केन्द्रित सूचना पर विज्ञापनों का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों द्वारा प्रसारण :-** राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं नीतियों के संबंध में दृश्य-श्रव्य विज्ञापन (टी०वी०स्पॉट), कल्याणकारी उपायों पर आधारित वृत्त चित्र और सरकारी योजनाओं पर आधारित विज्ञापनों का निर्माण कर उन्हें दूरदर्शन, आकाशवाणी, निजी इलेक्ट्रॉनिक, सेटेलाइट चैनल, एफ.एम. रेडियो, टी.वी. इत्यादि के माध्यम से प्रसारण की योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 800.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 400.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 400.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

3. **मेला, प्रदर्शनी एवं विशेष प्रचार अभियान :-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों के प्रति आम जन में जागरूकता फैलाना है। इसके तहत् राज्य के क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के द्वारा विशेष अवसरों यथा-राष्ट्रीय समारोहों, श्रावणी मेला, हिजला मेला, जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला आदि के अवसर पर प्रदर्शनी शिविर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किए जाने की योजना है। साथ ही गणतंत्र दिवस एवं अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर झांकी के माध्यम से राज्य की कला-संस्कृति, महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों आदि का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में स्टॉल लगाना इत्यादि योजनाएँ भी प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 400.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 200.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 200.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

4. **सेमिनार-सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस एवं वर्कशॉप :-** सूचना एवं जनसम्पर्क से संबंधित नियमित क्षमता संवर्द्धन हेतु जनसंचार एवं विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों/संस्थानों के सहयोग एवं उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए विभागीय पदाधिकारियों/

कर्मचारियों, मीडिया प्रोफेशनल्स, जनसंचार के विद्यार्थियों एवं अन्य संबंधितों के लिए विभाग द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर (मुख्यालय राँची सहित राज्य के पाँच प्रमण्डल मुख्यालयों तथा दिल्ली सहित देश के अन्य प्रमुख स्थानों में) सेमिनार-सिम्पोजियम, वर्कशॉप, कंडक्टेड टूर के कार्यक्रम, प्रेस वार्त्ता/पत्रकारों का क्षेत्र भ्रमण एवं विभिन्न विषयों पर समय-समय पर सेमिनार एवं संगोष्ठी आदि आयोजित करने का प्रस्ताव है।

सरकार की विभिन्न नीतियों, विकासोन्मुखी एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित शोध एवं अन्वेषण हेतु संदर्भ सामग्रियों का संकलन प्रकाशन एवं फेलोशिप प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 55.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 25.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 30.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

5. **गीत नाट्य :-** यह प्रचार-प्रसार का एक अत्यंत सुदृढ़, सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम है। गीत-नाट्य में स्थानीय कलाकारों एवं स्थानीय लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से स्थानीय लोग आसानी से जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। इस योजना के तहत् मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों का पारम्परिक प्रचार माध्यमों से स्थानीय लोक दलों एवं लोक भाषा के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त मल्टीमीडिया मैकेनिकल एनीमेटेड डिस्पले कार्यक्रम के माध्यम से गाँवों में सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत् झारखण्ड के सभी जिला में प्रचार-प्रसार की योजना बनाई गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 500.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 200.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 300.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

6. **विभागीय सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं नेटवर्किंग :-** सरकारी योजनाओं/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मुख्यालय सहित राज्य के सभी जिलों से ऑनलाइन विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त किया जा रहा है एवं प्रेषित भी किया जा रहा है। इस इकाई के अन्तर्गत सूचना एवं जनसंचार की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सूचना के सम्प्रेषण, ऑनलाइन विज्ञापन निर्गम, इंटरनेट लीजलाइन का अनुप्रयोग, विभागीय वेबसाइट का रख-रखाव इत्यादि इस योजना के अपरिहार्य भाग हैं। उपरोक्त कार्यों से संबंधित अन्य कार्यों के लिए आउटसोर्स एजेंसी को भी भुगतान किया जाता है।

साथ ही समाचार-पत्रों के महत्त्वपूर्ण कतरन ऑनलाइन ई-मेल के माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर जिला तक संप्रेषित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों

के नियमों/अधिसूचना/अनुदेश/नीतियों को संकलित कर ऑनलाइन किया गया है। साथ ही, विभिन्न विभागों से प्राप्त विज्ञापनों के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित सामग्रियों को ई-मेल पर सुलभ कराया जा रहा है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 800.00 लाख रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 800.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

7. **जनसंचार उपकरणों का क्रय :-** जनसंचार, विभाग का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अतएव विभाग के विभिन्न कार्यालयों में सम्प्रेषण उपकरणों की उपलब्धता आवश्यक है। टी.वी. सेट, जन-संबोधन उपकरण व्यवस्था, LED, कम्प्यूटर सेट इत्यादि का क्रय एवं विभाग से संबंधित महत्त्वपूर्ण सभागार कक्षों में पी.ए. सिस्टम का अधिष्ठापन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त संचार के समसामयिक उपकरणों आदि भी क्रय किये जायेंगे। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 100.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 50.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 50.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

8. **झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं फिल्म निर्माताओं हेतु वित्तीय सहायता :-** झारखण्ड सरकार के द्वारा झारखण्ड फिल्म नीति 2015 का गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियोज, फिल्म सिटी, थियेटर एवं मल्टीप्लेक्स की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग के द्वारा फिल्म विकास निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इस फिल्म नीति में थियेटरों का पुनरुद्धार एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर थियेटरों के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी शामिल है। साथ ही फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, तकनीकी विशेषज्ञों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड फिल्म विकास निगम की स्थापना एवं राज्य में प्रत्येक वर्ष फिल्म महोत्सव का आयोजन भी प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 100.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

9. **सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम :-** सरकार के जन-कल्याणकारी योजनाओं एवं जन-समस्याओं के समाधान संबंधी सुझावों को रेडियो के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा रांची विश्वविद्यालय के समन्वय से खांची रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 30.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 5.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 25.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

10. **सूचना भवन का अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण :-** राँची स्थित सूचना भवन एवं कतिपय अन्य क्षेत्रीय इकाइयों यथा रामगढ़, दुमका, गढ़वा इत्यादि जिलों में स्थित सूचना भवनों के अनुरक्षण, मरम्मति, बाहरी दीवारों का निर्माण एवं आंतरिक सुसज्जीकरण हेतु योजना प्रस्तावित है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 80.00 लाख

रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 40.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 40.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

11. **प्रेस क्लब की स्थापना :-** लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ मीडिया एवं पत्रकारों के कल्याण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रांची प्रेस क्लब भवन बन कर तैयार है एवं इसका उपयोग किया जा रहा है। देवघर तथा धनबाद में प्रेस क्लब भवन निर्माणाधीन है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 200.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 100.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 100.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

12. **सूचना भवन निर्माण - मुख्य निर्माण कार्य :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूचना भवनों के निर्माण (जहाँ आवश्यक हो) का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 10.00 लाख रुपये प्रस्तावित है, जिसमें से अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 5.00 लाख तथा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के तहत् 5.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

13. **पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना :-** झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिये जाने हेतु आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर "मुख्यमंत्री पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना" के संचालन का निर्णय लिया गया है। योजना की स्वीकृति पर कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

14. **मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र का संचालन एवं क्रियान्वयन :-** सरकार द्वारा जनता की शिकायतों की सुनवाई एवं समस्याओं का निदान माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय, मंत्रालय एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है। जनसंवाद केन्द्र को नये स्वरूप में स्थापित करते हुए इसके माध्यम से जनता के समस्याओं के निदान की योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 400.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

15. **सरकारी कार्यक्रमों हेतु एल.इ.डी. वाहन :-** एल.ई.डी. वाहन के माध्यम से महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों/अवसरों पर आवश्यक प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ इन वाहनों में उपलब्ध जी.पी.एस. सुविधा का उपयोग करते हुए कार्यक्रमों का सीधा-प्रसारण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की योजना है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 10.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

16. **मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना :-** झारखण्ड राज्य में पत्रकारिता के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करने हेतु मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा

योजना के संचालन का निर्णय लिया गया है। योजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।

17. **झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन योजना :-** झारखण्ड राज्य में न्यूनतम 20 वर्षों की सेवा देने वाले अथवा राज्य गठन से पूर्व अविभाजित राज्य के वैसे हिस्से जो वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के रूप में अभिहित हैं, में नियमित एवं पूर्णकालिक रूप से अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को 58 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिये जाने हेतु झारखण्ड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली का गठन किया गया है। योजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये मात्र प्रस्तावित है।